

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... महायुक्त कलेक्टर
मुकाम.....

रतना राम बनाम हरदान राम वीरा

किस्म मुकदमा... रा. अवेदन 111, 128 RLR... 14/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तापील पें जारी हुए
04/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रतना राम चौधरी</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>08/02/2022</u> को पेश हो।</p> <p>08/02/2022</p> <p><u>प्रार्थी पक्षील उपस्थित/विप्रार्थी- गणों के नोटिस तामिल दुहा प्रसा जिसे शामिल पत्रावली किया गया विप्रार्थी गणों बावजुद तामिल अनुपस्थित स्थापनाय समय तीन बार कोवला लगाई गई सेंटिलम कोवाज ड. 45 पर लगाई गई विप्रार्थी गणों स्वयं आ उनही तौर से होई अधिकतर उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी गणों के विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्टर मामले में लाई जाली है प्रार्थी पक्षील द्वारा प्रार्थी की फौजगी सूचना अनुसार डायम सुडाम रेड्डे पर लेने समय संकोचित विषयक तथा पत्रावली तामिल पेश विप्रार्थी गणों जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मतः वाल्वे वदम</u></p>	<p>3</p> <p>सहायक कलेक्टर (RPO) बायडु</p>

पत्रावली दिनांक- 23/03/2022 से पेश है

3
सहायक कलेक्टर
(RPO) बायडु


हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

तारीख हुक्म

23/03/2022

प्रार्थी चकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 /
खमारम प्रार्थी
1/1 हुलखण्ड
जाति हुलखण्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2022/ 175

दिनांक:- 23/3/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खेमाराम पुत्र रूपाराम के कायम मुकाम
1/1 तुलछाराम पुत्र खेमाराम वगैरा 03
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. हरदानराम पुत्र वीरमाराम वगैरा 52,
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 14/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - बेरी नाडी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 114, 127 रकबा क्रमशः 15.2728, 22.8890 हैक्टयर व मौजा - सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला- बाड़मेर के खेत ख. नं. 640/127 रकबा 0.4128 हैक्टयर व मौजा - चारणैत्र पटवार हल्का- सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत ख. नं. 126 रकबा 2.0072 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा क्रो लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-

कमांक/वाद/2022/ 176-180

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तुलछाराम पुत्र खेमाराम वगैरा 03
4. विप्रार्थी श्री हरदानराम पुत्र वीरमाराम वगैरा 52,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु